न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– **46 / 2022**
दायर दिनांकः– **20.05.2022**
निर्णय दिनांकः– **23.06.2022**

उनवान

1 श्री भानु प्रताप पिता करण सिंह राजपुत निवासी बंगला आजंन खेडा।
2 श्री महावीरसिंह पिता करणसिंह राजपुत निवासी बंगला आंजन खेडा।
3 श्रीमती उषा कुंवर पत्नी करणसिंह राजपुत निवासी बंगला आजंन खेडा।
4 श्री नरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत निवासी बंगला आजंन खेडा।
5 श्री महेन्द्र सिह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत निवासी बंगला आजंन खेडा।
6 श्रीमती सुरज कुवंर पत्नी लक्ष्मण राजपुत निवासी बंगला आजंन खेडा।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री भगवानसिंह पिता मोडसिंह राणावत निवासी बंगला आजंन खेडा।
2 श्री कृष्ण वीर सिंह पिता देवेन्द्र सिह राजपुत निवासी बंगला आजंन खेडा।
3 श्री फतेह सिंह पिता मदन सिंह राजपुत निवासी बंगला आजंन खेडा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण सं. 01 उपस्थित अप्रार्थी सं. 02 व 03 बाद सूचना अनुपस्थित, अप्रार्थी सं. 01 ने पत्थरगडी में कोई आपत्ति नहीं की आ.सं. 2 व 3 उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एक तरफा की जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा आजंन खेडा पटवार हल्का **पटोलिया** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 2990 रकबा 0.02 है आ0सं0 2991 रकबा 0.03 है. आ0सं0 2992 रकबा 0.10 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नोटिस नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.27 12:27:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **23.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)